राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. अपी/2683/11 जिला जयपुर

उनवान मै० खंडेलवाल ब्रदर्स जयपुर बनाम वा.का.अ. A/E जोन II

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.3.15		

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

वकील प्रार्थी श्री एस.के.जैन एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री रामकरण सिंह उपस्थित।

श्री जैन ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, वर्ष 2015 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्ड्रा करना चाहते है। इस बाबत् प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

अतः श्री एस.के.जैन एडवोकेट का अपील को विद्ड्रा करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्ड्राअल खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर